

सं. 38: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

मद	2024-25	2025	2026	
		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
1. स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1328	142	121	150
1.2 राशि	47800	8346	4231	5221
2. अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	51	17	2	2
2.2 राशि	13384	2697	400	212
3. कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1379	159	123	152
3.2 राशि	61184	11043	4631	5433
4. भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.05	4.50	5.50	4.80
5. ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 अस्थिर दर के ऋणों@ के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) पर भारत औसत मार्जिन	1.48	1.39	1.73	1.18
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-11.67	0.00-10.63	0.00-11.00	0.00-11.00

उधारकर्ता श्रेणियाँ

I. कॉर्पोरेट - कृषि और बागान क्षेत्र	0	0	0	0
II. कॉर्पोरेट विनिर्माण	13900	2273	214	431
III. कॉर्पोरेट - अवसंरचना	15462	3507	2258	2003
ए) परिवहन	1248	0	48	392
बी) ऊर्जा	7470	1828	2173	1553
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	28	0	0	30
डी) संचार	1101	0	26	25
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना	258	4	11	0
एफ) अन्वेषण, खनन और रिफाइनरी	5357	1675	0	0
जी) बुनियादी ढांचा (औद्योगिक पार्कों का निर्माण और विकास, एकीकृत टाउनशिप और एसईजेड)	0	0	0	3
IV. कॉर्पोरेट - निर्माण (गैर-बुनियादी ढांचा)	0	0	0	1
V. कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्र	3226	522	230	277
VI. कॉर्पोरेट-वित्तीय क्षेत्र	27318	4718	1879	2641
ए) बैंक	0	0	0	0
बी) एनबीएफसी	26318	4718	1879	2366
सी) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई)	1000	0	0	125
डी) सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) (बैंकों, एनबीएफसी और एआईएफआई के अलावा)	0	0	0	0
ई) अन्य	0	0	0	150
VII. अन्य संस्थाएं	0	0	0	10
ए) सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)	0	0	0	10
बी) साझेदारी फर्म	0	0	0	0
सी) सहकारी समिति	0	0	0	0
डी) समाज	0	0	0	0
VIII. अन्य @@	1278	23	50	70

@ 01 जुलाई, 2023 से बेंचमार्क दर को बदलकर वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) कर दिया गया है।

@ @: 'अन्य' में 'अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' शामिल है।

टिप्पणी: 1. 'फॉर्म ईसीबी 1' में 'सामान्य और विशेष अनुमति' को आरबीआई के 18 फरवरी 2026 के 'फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 के तहत रिपोर्टिंग - बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से संबंधित रिटर्न' परिपत्र के अनुसार पेश किया गया है, जो 16 फरवरी 2026 के आरबीआई के परिपत्र 'फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (बॉरोइंग और लेंडिंग) (फर्स्ट अमेंडमेंट) रेगुलेशंस' के संशोधित ईसीबी फ्रेमवर्क के अनुसार है।

2. ईसीबी/फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड (एफसीसीबी) के लिए एप्लीकेशन के आधार पर, जिन्हें इस समय के दौरान लोन रजिस्ट्रेशन नंबर (एलआरएन) दिया गया है और बॉरोअर कैटेगरी फॉर्म ईसीबी 1 में उपलब्ध एंड-यूज सेक्टर पर आधारित है।